न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक रिव्यू 151–दो/03 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–3–02 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 124–तीन/96.

———

1– श्रीमती जेरजुआ देवी विधवा पत्नी श्री रामभुवन

2– रामबहादुर

3– रामयश

4– हिन्छलाल

5– विष्णुप्रसाद

6– सुरेश कुमार

सभी पुत्रगण श्री रामभुवन

निवासीगण ग्राम घरेहटा तहसील मऊगंज जिला रीवा

7– श्रीमती श्यामवती पत्नी शेषमणि पुत्र स्व. रामभुवन
निवासिन ग्राम अढरिया

8– श्रीमती सूर्यवती पत्नी श्री रामभिलाष दुबे
पुत्री स्व. श्री रामभुवन निवासिन
ग्राम गहनौआ, तहसील मऊगंज जिला रीवा

9– श्रीमती भानुवती पत्नी लखलाल दुबे
पुत्री स्व. श्री रामभुवन, निवासिन ग्राम करहिया
तहसील तहसील मऊगंज जिला रीवा

10– कुमारी अन्नू

11– कुमारी मन्जू

12– कुं. कंचन

तीनों पुत्रियां संतोष कुमार दुबे

13– श्रीलाल पुत्र श्री संतोष कुमार दुबे

14– श्री नीरज पुत्र संतोष कुमार दुबे
सभी अव्यस्क संरक्षक पिता श्री संतोष कुमार दुबे
निवासीगण ग्राम अमहा रामरतन पो. पांती
तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

रामविशाल पुत्र शोभनाथ,
निवासी ग्राम घुरेहटा तहसील मऊगंज जिला रीवा म.प्र. ——— अनावेदक

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. अवस्थी ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 03–09–2015 को पारित)

———

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निग0 124–तीन/96 में पारित आदेश दिनांक 06–3–2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों के पूर्वज रामभुवन द्वारा ग्राम घुरेहटा की नामांतरण पंजी कमांक 220 पर प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 3 रकबा 1.22 के संबंध में दिए गए नामांतरण आदेश दिनांक 9–1–71 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 27–1–92 को 21 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 29–1–93 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः उभयपक्षों की सुनवाई कर विधिवत निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 31–1–96 द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सर्वप्रथम समय–सीमा के बिंदु पर उभयपक्षों को सुनें और उस बिंदु के निपटारे के पश्चात अपील का निराकरण करें । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वाराअ धीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 27–8–96 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो तत्कालीन सदस्य ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त

की । इस न्यायालय के आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह पुनरावलोकन इस न्यायालय में पेश किया गया है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय द्वारा आदेश के पैरा 5 में समयसीमा के कर विधिवत निर्णय हेतु प्रत्यावितर्त किया गया है, स्थिर रखा जाता है । बिंदु पर जो निष्कर्ष निकाला है वह अभिलेख के विपरीत है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान एस.डी.ओ. न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 22.8092 की ओर दिलाया गया । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के अंश भाग पर खड़े वृक्षों पर आधिपत्य बताते हुए व्यवहार वाद पेश किया था जो विद्वान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मऊगंज ने आदेश दिनांक 26–3–99 द्वारा निरस्त किया गया उक्त आदेश में यह भी ठहराया गया है कि वादी (इस न्यायालय में अनावेदक) ने विवादित भूमि के 1/2 भाग का नामांतरण अवैधानिक रूप से अपने नाम करा लिया है । व्यवहार न्यायालय के आदेश का हवाला उनके द्वारा निगरानी में तर्कों के दौरान दिया गया था किंतु उसे अनदेखा किया गया है । यह भी कहा गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर जिला न्यायाधीश, मऊगंज, जिला रीवा के न्यायालय में सिविल अपील पेश की थी जो विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 20–10–05 के आदेश द्वारा निरस्त हो चुकी है । व्यवहार न्यायालय के आदेशों के प्रकाश में भी आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है । अंत में यह कहा गया कि एस.डी.ओ. ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक ने पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय नहीं की है और ना ही कोई दस्तावेज है । विलंब के संबंध में एस.डी.ओ. ने निर्णय दिए बिना आदेश पारित किया गया, इस कारण अपर कलेक्टर ने उन्हें प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही उनके आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त एवं इस न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि की है । अतः पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बिंदु का निराकरण सर्वप्रथम करते हुए आदेश पारित किया है या नहीं ? इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 22–8–92 में अनावेदक की रेसजुडीकेटा संबंधी आपत्ति के संबंध में यह कहा है कि उनके द्वारा कोई प्रमाणित प्रति पेश नहीं की और उन्हें 24–8–92 तक का समय दिया है साथ ही उन्होंने परिसीमा का बंधन नहीं होने का उल्लेख भी किया है इसका आशय यही है कि उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया है । इसके बाद उन्होंने दिनांक 29–1–93 को अंतिम आदेश पारित किया है । दिनांक 22–8–92 के आदेश को कोई चुनौती अनावेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रस्तुत किये गये व्यवहार वाद में अन्य बिंदुओं के निराकरण के साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि वादी (इस न्यायालय में अनावेदक) ने विवादित भूमि के 1/2 भाग का नामांतरण अवैधानिक रूप से अपने नाम करा लिया है व्यवहार न्यायालय के आदेश की पुष्टि अपर जिला न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 20–10–05 द्वारा की है । अपर जिला न्यायाधीश के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी गई है या नहीं इस संबंध में अनावेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके । प्रकरण के तथ्यों एवं व्यवहार न्यायालयों के उपरोक्त आदेशों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है और इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में प्रथमदृष्टया अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि होने के कारण आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनरावलोकन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 6–3–02 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण निग0 124–तीन/96 पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर